सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 778 राँची, मंगलवार 7 अगस्त, 2018 (ई०)

योजना सह वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

अधिसूचना

23 जुलाई, 2018

संख्या-9/पें०(6)-03/2017/110/vi.pe.-- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल "झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड पेंशन (संशोधन) नियमावली 2018" कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 43 के अन्तर्गत निम्नलिखित को उप-नियम (ग) के रूप में अतःस्थापित किया जाता है :-

"(ग) विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही, जो किसी सरकारी सेवक अथवा जो अनिवार्य सेवानिवृति की उम्र प्राप्त कर चुके सेवानिवृत सरकारी सेवक पर शुरू है अथवा चलाई जा रही हो, उसके सेवानिवृति तिथि से विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के आलोक में आदेश निर्गत होने की तिथि तक, औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो सेवानिवृति के समय अनुमान्य अधिकतम पेंशन अथवा यदि सरकारी सेवक सेवानिवृति के समय निलंबन पर हो तो निलंबन के पूर्व अनुमान्य अधिकतम पेंशन से अधिक नहीं हो । विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के आलोक में अंतिम आदेश निर्गत होने तक उपदान या मृत्यु सह सेवानिवृति उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा ।"

3. झारखण्ड पेंशन नियमावली 2000 के नियम 237 के पश्चात् निम्नलिखित को परंतुक के रूप में अतःस्थापित किया जाता है :-

"परंतु विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही, जो किसी सरकारी सेवक अथवा सेवानिवृत सरकारी सेवक पर शुरू है अथवा चलाई जा रही हो, कार्यवाही के लंबित रहने तक पेंशन रूपान्तरण अनुमान्य नहीं होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

PLANNING-CUM-FINANCE DEPARTMENT

(Finance Division)

NOTIFICATION

23 July, 2018

No.9/Pe (6) -03/2017/110-vi.pe.-- In exercise of the power conferred by the Proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand hereby amends the rules of "Jharkhand Pension Rules 2000" as following : –

1. Short title, extent and commencement :-

(i) These Rules may be called the "Jharkhand Pension (Amendment) Rules, 2018".

(ii) It shall extend to the whole State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force from the date of notification in the official Gazette.

2. The following is inserted as sub-rule (c) in rule 43 of the Jharkhand Pension Rules 2000 :-

"(c) Where any departmental or judicial proceeding is instituted or continued against an officer/employee who has retired on attaining the age of compulsory retirement or otherwise, he shall be sanctioned by the Government which instituted such proceeding, during the period commencing from the date of his retirement to the date on which, upon conclusion of such proceeding final orders are passed, a provisional pension not exceeding the maximum pension which would have been admissible on the basis of his qualifying service upto the date of retirement, or if he was under suspension on the date of retirement, upto the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension, but no gratuity or death-cum-retirement gratuity shall be paid to him until the conclusion of such proceedings and the issue of final orders thereon."

1. The following is inserted as proviso to rule 237 of the Jharkhand Pension Rule 2000 :-

"Provided that an officer/employee, against whom judicial or departmental proceeding has been instituted or a pensioner against whom any such proceeding has been instituted or continued, shall not be permitted to commute any part of his pension during the pendency of such proceeding."

By the order of the Governor of Jharkhand,

Sukhdev Singh,
Additional Chief Secretary.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 778 -- 50